

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2010—कार्तिक 5, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच(89)—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स रोजी ब्लू लिमिटेड, पीथमपुर को औद्योगिक इकाई में उपयोग या उपभोग हेतु क्रय किए गए कच्चे माल या आनुषंगिक माल के संबंध में, 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2010 की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट इस शर्त के अध्वधीन होगी कि यदि उक्त कालावधि से संबंधित प्रवेश कर की रकम कोषालय में जमा कर दी गई हो तो ऐसी रकम वापस नहीं की जाएगी.

क्र. एफ-ए-3-24-2010-1-पांच(90)—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2000-1-पांच(76), दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हीरा कटिंग तथा पालिशिंग औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों में उपयोग या उपभोग हेतु क्रय किए गए कच्चे माल या आनुषंगिक माल के संबंध में, 1 अप्रैल, 2010 से उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट इस शर्त के अध्वधीन होगी कि यदि उक्त कालावधि से संबंधित प्रवेश कर की रकम कोषालय में जमा कर दी गई है तो ऐसी रकम वापस नहीं की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (89)(90).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (89) एवं (90), दिनांक 27 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th October 2010

No. F-A-3-24-2010-1-V (89).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts M/s Rosy Blue Limited, Pithampur from payment of entry tax under the said Act in respect of raw materials or incidental goods purchased for use or consumption in the industrial unit, for the period from 1st January, 2009 to 31st March, 2010.

2. The exemption under this notification shall be subject to the condition that if the amount of entry tax pertaining to the said period has been deposited in the treasury, such amount shall not be refunded.

No. F-A-3-24-2010-1-V (90).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), and in supersession of this department's Notification No. FA-3-24-2000-I-V(76), dated 31st August, 2010, the State Government, hereby, exempts diamond cutting and polishing industrial units situated in the State of Madhya Pradesh, from payment of entry tax under the said Act in respect of raw materials or incidental Goods purchased for use or consumption in the industrial unit, from 1st April, 2010.

2. The exemption under this notification shall be subject to the condition that, if the amount of entry tax has been deposited in the treasury, such amount shall not be refunded.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.